अनुदान संख्या 85 - वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
GRANT No. 85– DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted –				
मूल	Original	2982,20,00	2984,21,00	2979,13,86	- 5,07,14
पूरक	Supplementary	2,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3,25,00
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted –		5,80,00	3,53,69	-2,26,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,05,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹507.14 लाख) मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹201.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का आधा प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹507.14 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹201.00 lakhs obtained in March, 2011 and constituted half percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	297420.00	297296.00	297205.69	- 90.31
पू.	S.	201.00			
पु.	R.	-325.00			

(I) ''अन्य - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता - प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोगिता कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान'' के अंतर्गत ₹4000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4200.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹332.34 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) आविष्कार कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलापों को शुरू न करने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(I) Under "Others – Assistance to other Scientific Bodies – Grants-in-aid for Technology Promotion Development and Utilisation Programme" – the original provision of ₹4000.00 lakhs was augmented to ₹4200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹332.34 lakhs (including supplementary grant) – due to non-taking up of proposed activities under invention programmes, non-receipt of utilisation certificate and availability of unspent balances of previous years.

(II) ''अन्य - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "Others - Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं'' - ₹3616.00 लाख की बचत (₹212000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं का स्थगन/पुनर्निर्धारण होने और बजटीय सीमा की वजह से प्रतिबद्धताओं को अगले वित्तीय वर्ष आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Laboratories"- saving of ₹3616.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹212000.00 lakhs) was due to postponement/ re-scheduling of some projects and deferred commitments to the next financial year owing to budgetary ceiling.

(खा) ''नई सहस्राब्दि में भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व का सूत्रपात''- ₹2500.00 लाख की बचत (₹7500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई सहस्राब्दि में भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व का सूत्रपात परियोजना के विकास में शामिल लम्बी प्रक्रिया होने की वजह से धीमी गति से व्यय किए जाने के कारण हुई।

(B) "New Millennium Indian Technology Leadership Initiative" - saving of ₹2500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7500.00 lakhs) was due to low pace of expenditure owing to elaborate procedure involved in development of New Millennium Indian Technology Leadership Initiative Project.

(गा) ''स्थानान्तरीय अनुसंधान संस्थान (अभिनव परिवर्तन परिसर)'' - ₹450.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Institute of Translational Research (Innovation Complexes)" - saving of ₹450.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-taking up of the schemes.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹91.83 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹91.83 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6499.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि ''अन्य - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹201.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (₹6499.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹201.00 lakhs under "Others - Assistance to Council of Scientific and Industrial Research" -under the following heads:-

(I) ''प्रशासन'' - ₹499.00 लाख।

(II) ''अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां'' - ₹5500.00 लाख।

(III) ''बौद्धिक सम्पत्ति और प्रौद्योगिकी प्रबंधन'' - ₹500.00 लाख।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

(I) "Administration" - ₹499.00 lakhs.

(II) "Research Schemes, Scholarships and Fellowships"- ₹5500.00 lakhs.

(III) "Intellectual Property and Technology Management"- ₹500.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	200.00	..	..
पु.	R.	-200.00		

(I) ₹200.00 लाख का प्रावधान एक मामले में ''कार्यालय भवन - भूमि अधिग्रहण - डीएसआईआर भवन एवं अवसंरचना'' के अंतर्गत नगर की सीमा के भीतर भवन के लिए उपयुक्त स्थान/ स्थल नहीं ढूंढ पाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Office Buildings – Acquisition of Land – DSIR Building and Infrastructure" – due to inability to find appropriate building space/site within city limits.